HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17149/2025

Smt Shyam Bai W/o Late Shri Manphool, Aged About 65 Years, R/o Sansi Basti Chautha Ka Barwada, District Sawai Madhopur. At Present Jhugi Jhopadi Indian Oil Petrol Pump Ke Samne Near Oswal Circle Riico Sitapura, Police Station Sanganer Sadar. (Presently Petitioner Confined In Central Jail At Jaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Narsi Prasad Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/02/2026

प्रार्थिया–अभियुक्ता की ओर से धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–सांगानेर सदर, जयपुर दक्षिण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **951/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थिया–अभियुक्ता को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थिया–अभियुक्त के आधिपत्य से करीब 10 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद होना बताया गया है, जो वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम से बहुत कम है। वह एक महिला है तथा दिनांक 10.12.2025 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। उसके विरूद्ध पूर्व में 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है, जिसमें से इसी प्रकृति का एकमात्र प्रकरण ही दर्ज है,

जिसमें उसके आधिपत्य से 4 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद होना बताया गया है। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थिया–अभियुक्ता के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अभियोग है। उसके आधिपत्य से 10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक की बरामदगी हुई है। उसके विरूद्ध पूर्व में भी 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से अधिकांश मामले राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराधों से सम्बन्धित है तथा एक प्रकरण एन. डी.पी.एस के अपराध से सम्बन्धित है। प्रार्थिया आदतन अपराधी है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वर्तमान मामले में प्रार्थिया–अभियुक्ता के आधिपत्य से अवैध मादक पदार्थ 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। उसके विरूद्ध पूर्व में वर्ष 2008 से लेकर अब तक 9 आपराधिक प्रकरण विभिन्न पुलिस थानों पर दर्ज हुए हैं, जिनमें से अधिकांश प्रकरण धारा 19/54 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित है तथा एक प्रकरण 8/21 एन.डी. पी.एस. का भी दर्ज है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता ने हर बार जमानत की सुविधा का दुरूपयोग करते हुए बार–बार अपराध कारित किया है तथा वह एक आदतन अपराधी है। ऐसी स्थिति में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थिया–अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामतः प्रार्थिया–अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /24